ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान

इस पृष्ठ पर

विदेशी नागरिक

अपने गृह-देश वापिस जाने वाले अस्थायी वीज़ा धारक

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और स्थायी निवासी

ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कड़े सीमा नियंत्रण लागू किए हैं। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश और यहाँ से प्रस्थान करने के लिए बहुत ही सीमित उड़ानें उपलब्ध हैं और हो सकता है कि आप इस समय यात्रा करने में सक्षम न हों। देखें: राष्ट्रीय कैबिनेट का मीडिया वक्तव्य।

ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी शामिल हैं, अपने आगमन के नगर में 14 दिनों के लिए होटल जैसी किसी नियत की गई सुविधा में अनिवार्य रूप से संगरोध करना होगा। यात्रियों के लिए कोरोनावायरस (COVID-19) के संबंध में सलाह देखें। आपको संगरोध के शुल्कों का भुगतान स्वयं करने की आवश्यकता हो सकती है। संगरोध की आवश्यकताओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य या राज्य-क्षेत्र के सरकारी स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें।

विदेशी नागरिक

COVID-19 के कारण ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान स्थिति, राज्यों और राज्य-क्षेत्रों की सीमाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों, व्यवसायों के बंद होने और सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं के कारण सभी अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को यथासंभव अपने गृह-देश के लिए प्रस्थान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अस्थायी वीज़ा धारकों को इस बात से अवगत होना चाहिए कि COVID-19 प्रतिबंधों के लागू रहने की अवधि में यदि वे फिर से ऑस्ट्रेलिया वापिस आना चाहते हैं, तो सामान्य रूप से यात्रा अपवाद प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। आयुक्त [Commissioner] द्वारा अपवाद प्राप्त करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश वेबपृष्ठ देखें।

अपने गृह-देश वापिस जाने वाले अस्थायी वीज़ा धारक

यदि COVID-19 से प्रभावित हुए अस्थायी वीज़ा धारकों के गृह-देशों के सीमा प्रतिबंध अनुमति देते हैं, तो अस्थायी वीज़ा धारक वापिस जाने के लिए व्यवस्थाएँ कर सकते हैं।

अस्थायी वीज़ा धारकों को ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने के लिए अपवाद की आवश्यकता नहीं है। यदि उनके गृह-देश के सीमा प्रतिबंध उन्हें वापिस आने की अनुमति देते हैं, तो वे किसी भी समय प्रस्थान सकते हैं।

याद रखें कि COVID-19 की परिस्थिति लगातार बदलती जा रही है।

प्रत्येक सप्ताह जाँच करें:

- सीमा प्रतिबंध
- उड़ानों की उपलब्धता।

पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में कई प्रमुख हवाईअड्डों से वाणिज्यिक उड़ानें उपलब्ध हैं। निम्नलिखित एयरलाइनें वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने वाली उड़ानें परिचालित कर रही हैं:

उपलब्ध उड़ानों वाली एयरलाइनों में शामिल हैं: एयरएशिया | एयर न्यू ज़ीलैंड | चाइना एयरलाइंस | चाइना सदर्न एयरलाइंस | एमिरेट्स | मलेशिया एयरलाइंस | श्रीलंकन एयरलाइंस | कतर एयरवेज़ | यूनाइटेड

आप यह भी पता कर सकते/सकती हैं कि क्या आपके देश के लिए कोई निजी या सरकारी प्रत्यावर्तन उड़ानें भी जा रही हैं।

वर्तमान में भारत प्रत्यावर्तन उड़ानों की व्यवस्था कर रहा है।

यदि आप अपने गृह-देश वापिस जाने के लिए और अधिक सहायता चाहते/चाहती हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया में अपने दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर सकते हैं।

आप अपना विवरण भी पंजीकृत कर सकते/सकती हैं।

हम विदेशी मामले और व्यापार विभाग [Department of Foreign Affairs and Trade] को आपसे संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे, जो आपके गृह-देश की सरकार को यह जानकारी उपलब्ध करा सकता है (विदेश में अथवा ऑस्ट्रेलिया में, जिसका प्रतिनिधित्व विदेशी दूतावास, वाणिज्य दूतावास या उच्चायोग करता है)।

यह सेवा केवल अस्थायी वीज़ा धारकों के लिए ही उपलब्ध है।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और स्थायी निवासी

यदि आप एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी हैं, तो COVID-19 से संबंधित प्रतिबंधों के कारण आप बिना अपवाद प्राप्त किए ऑस्ट्रेलिया छोड़कर नहीं जा सकते/सकती हैं। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते/सकती हैं, परंतु आपको निम्नलिखित में से कम से कम एक शर्त को पूरा करना होगा:

- आपकी यात्रा COVID-19 प्रकोप के प्रति उत्तर के एक हिस्से के रूप में है, जिसमें सहायता उपलब्ध कराने के लिए यात्रा करना शामिल है
- आपकी यात्रा महत्वपूर्ण उद्योगों और व्यापार (निर्यात और आयात उद्योगों समेत) के संचालन के लिए आवश्यक है
- आप ऑस्ट्रेलिया में अनुपलब्ध तत्काल चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने के लिए यात्रा कर रहे/रही हैं
- आप तत्काल और अपरिहार्य व्यक्तिगत मामलों के कारण यात्रा कर रहे/रही हैं
- आप अनुकंपा या मानवतावादी आधार पर यात्रा कर रहे/रही हैं
- आपकी यात्रा राष्ट्रीय हित में है।

आपको अपने दावों के समर्थन में प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- पासपोर्ट
- विवाह प्रमाण-पत्र
- जन्म प्रमाण-पत्र
- मृत्यु प्रमाण-पत्र
- संबंध का प्रमाण (उदाहरण के लिए, साझा किराएदारी समझौता, सँयुक्त बैंक खाता आदि)
- लंबी अवधि के लिए किसी अन्य देश जाने का प्रमाण, जैसे आवासीय अनुबंध, कार्य प्रस्ताव, और आपके साजो-सामान के स्थानांतरण का प्रमाण
- ऑस्ट्रेलिया और/या विदेश के लिए अपने वर्तमान वैध वीज़ा का प्रमाण
- डॉक्टर या अस्पताल की ओर से किसी चिकित्सीय उपचार/रोग के उल्लेख का पत्र, जिसमें यह भी बताया गया हो कि यात्रा करना आवश्यक क्यों है

- कार्य-नियोक्ता की ओर से पत्र, जिसमें यह बताया गया हो कि आपके लिए यात्रा करना आवश्यक क्यों है या आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है
- आप कब ऑस्ट्रेलिया वापिस आना चाहते/चाहती हैं, यह दर्शाने वाला कथन या प्रमाण
- अपने दावों के समर्थन में आपके पास उपलब्ध अन्य कोई भी प्रमाण।

यात्रा के लिए अपवाद के दावे के समर्थन में सभी प्रमाणों का आधिकारिक अंग्रेजी अनुवाद करवाना आवश्यक है।

आपको अपनी नियोजित यात्रा की तिथि से कम से कम 4 सप्ताह पहले, परंतु 3 महीनों के अंदर अपवाद के लिए आवेदन करना चाहिए।

यदि आपको अपवाद नहीं दिया जाता है, तो आपको अपनी यात्रा की योजनाएँ जारी नहीं रखनी चाहिए। यदि अपवाद प्राप्त हो जाता है, तो आपको उस अपवाद के निर्णय का प्रमाण हवाईअड्डे ले जाना होगा।

आपको अपवाद प्राप्त होगा, यदि आप:

- ऑस्ट्रेलिया के बजाए किसी अन्य देश में सामान्य रूप से निवास करते/करती हैं
- एयरलाइन, समुद्री चालकदल या इनसे संबंधित सुरक्षा कर्मचारी हैं
- विशेष श्रेणी (उपवर्ग 444) [Special Category (Subclass 444)] वीज़ा धारक न्यू ज़ीलैंड के/की नागरिक हैं
- ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाने वाले माल के दिन-प्रतिदिन संचालन कार्यों में शामिल हैं
- ऑस्ट्रेलिया की अपतटीय सुविधाओं में अनिवार्य कार्य से शामिल हैं
- आधिकारिक सरकारी कार्य-कलापों से संबंधित यात्रा कर रहे/रही हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा बल [Australian Defence Force] के सदस्य भी शामिल हैं।

यदि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही रिकॉर्ड यह प्रदर्शित करते हैं कि आपने पिछले 12 से 24 महीनों की अवधि में ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिताए गए समय की तुलना में ऑस्ट्रेलिया से बाहर अधिक समय बिताया है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के बजाए अन्य देश का सामान्य निवासी माना जाएगा। आपको अपनी आवाजाही से संबंधित कागजी रिकॉर्डों को अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यक हो, तो हवाईअड्डे पर उपस्थित ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल [Australian Border Force] के अधिकारी विभागीय तंत्रों में आपके आवाजाही रिकॉर्डों की जाँच कर सकते हैं।

यदि आपने पिछले 12 से 24 महीनों की अवधि में ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिताए गए समय की तुलना में ऑस्ट्रेलिया से बाहर अधिक समय नहीं बिताया है, परंतु आप फिर भी स्वयं को किसी अन्य देश का सामान्य निवासी मानते/मानती हैं, तो आप यात्रा अपवाद के लिए निवेदन जमा कर सकते/सकती हैं।

आपको अपने निवेदन में प्रमाण शामिल करने की आवश्यकता होगी, उदाहरण के लिए:

- यह प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज कि किसी अन्य देश में आपका स्थापित और बसा हुआ निवास है
- अपने सगे परिजनों की उपस्थिति के स्थान
- ऑस्ट्रेलिया के बाहर काम करने के लिए कार्य अनुबंध
- आश्रित बच्चों के स्कूल के भर्ती दस्तावेज
- वर्तमान में परिचालित किए जा रहे व्यापार/संपत्ति अभिरुचियों के प्रमाण
- दोहरी नागरिकता या किसी अन्य देश के वैध वीज़ा का प्रमाण
- दूसरे देश में आपकी अनुपस्थिति के अस्थायी होने और वहाँ वपिस जाने का उद्देश्य प्रदर्शित करने वाला प्रमाण।

यदि आपके विचार में आपको यात्रा अपवाद की आवश्यकता नहीं है, तो आप इस बात का प्रमाण हवाईअड्डे पर चेक-इन करते समय प्रस्तुत कर सकते/सकती हैं। परंतु यदि आपको संदेह है कि आपकी परिस्थितियाँ सामान्य रूप से निवासी होने की परिभाषा का पालन करती हैं या नहीं, तो हम आपको अपने इच्छित प्रस्थान से कम से कम चार सप्ताह पहले आकलन के लिए निवेदन जमा करने की सलाह देते हैं।